न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 19/2017

सुरेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवासी बालिता रोड शिवशक्ति क्लिनिक के पास टावर वाली गली कुन्हाडी कोटा ..... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. ओम प्रकाश पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवासी बालिता रोड शिवशक्ति क्लिनिक के पास टावर वाली गली कुन्हाडी कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : हिम्मताराम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री दया कृष्ण धाकड

वकील अप्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 18.07.2017 निर्णय दिनांक : 28.08.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी परिवार की व पुश्तेनी आराजी खाता संख्या 141 खसरा नं0 2295/5632 रकबा 0.36 है0 खसरा नं0 3047 रकबा 0.12 है0 कुल किता 2 रकबा 0.48 है0, खाता संख्या 693 खसरा नं0 2939 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2940 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 2952 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 2953 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 2954 रकबा 0.29 है0 खसरा नं0 2955 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 2956 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 2957 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 2960 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सीसवाली व खाता संख्या 11 में खसरा नं0 36/131 रकबा 2.82 ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल में स्थित है, उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता ओम प्रकाश का 1/6 हिस्सा है प्रार्थी का हिस्सा आराजी में जन्म से है और प्रार्थी का हिस्सा 1/18 बनता है। जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त है। आगे प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 आराजी को रहन बेचान करने पर आमादा है, यदि ओमप्रकाश ने ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को अत्यधिक नुकसार हो जावेगा, क्योकि, प्रार्थी का आराजी पर पैदायशी हक है, प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है, सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को तलब किया अप्रार्थीगण जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रा पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया है। संयुक्त खाते की आराजी पर सबका बराबर बराबर हिस्सा रहता है। आगे कथन किया कि अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

कम 1 का हिस्स भी अभी पृथक नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को हिस्सा नही मिल सकता अप्रार्थी की मृत्यु के पश्चात स्वतः ही प्रार्थी के नाम विरासत का इन्तकाल खुल जावेगा। अप्रार्थी कोई आराजी बेचना नही चाहता है। आगे कथन किया कि प्रार्थी का संयुक्त आराजी पर ना तो कब्जा है और न ही प्रार्थी खातेदार है। ऐसी स्थिति में रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व न्यायकि दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है। जो उन्होने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में लिख रखे है। वकील प्रार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि ओम प्रकाश की आराजी में प्रार्थी का पैदाईशी हक है। इसलिए अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी को बेचान कर देगा तो प्रार्थी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जावेगा। जबकि अप्रार्थी वकील का अपनी बहस में मुख्य तर्क रहा है कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञज्ञ जारी नही की जा सकती। अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टातं आर0आर0डी0 2006 पेज 413 आर0आर0डी0 2006 पेज 761 आर0आर0डी0 2007 पेज 438 पेश किये है। बहस में यह भी कहा है कि संयुक्त खाते की आराजी में सभी को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। तथा प्रार्थी का आराजी पर कब्जा नही है। और प्रार्थना पत्र खारिज करने का न्यायालय से निवेदन किया।

बहस सुनने के पश्चात न्यायालय प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थी से सहमत है। तथा प्रार्थी ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कही भी नही लिखा कि अप्रार्थी किसको आराजी बेचना चाहता है। पूश्तैनी आराजी का कोई पुराना रेकार्ड भी पेश नही किया है। अप्रार्थी कम 1 वर्तमान में रेकार्डेड सहखातेदार है। और न्यायालय रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने उचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2017 को अदालत कोर्ट केम्प मांगरोल मजमेंआम सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल